दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३४९ वा | मंगळवार २९ जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

बिहार में चुनाव आयोग की अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक से किया इनकार, आधार और वोटर कार्ड स्वीकार करने कि सलाह।

नई दिल्ली / प्रतिनिधि

बिहार में मतदाता सूची संशोधन अभियान (Special Summary Revision) के तहत चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही विशेष मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह एक संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और इस अभियान को रोकने का अभी कोई आधार नहीं है।

यह मामला उस याचिका के संदर्भ में सामने आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिहार में चल रही इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर फॉर्म-६ भरने में गड़बड़ियाँ हुई हैं, मृत व्यक्तियों के नाम से फॉर्म जमा किए गए हैं और बीएलओ (इड्ज) स्वयं बिना जानकारी के दस्तावेज भर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वह नामों के बहिष्कार की बजाय En masse inclusion यानी अधिकतम नागरिकों को सूची में शामिल करने की नीति पर काम करे। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा

कि पहचान पत्रों के रूप में आधार कार्ड और वोटर आईडी को वैध रूप से स्वीकार किया जाए क्योंकि ये अधिक विश्वसनीय हैं। अदालत ने इस बात पर आपत्ति जताई कि राशन कार्ड को कई बार अप्रामाणिक मान लिया जाता है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, चुनाव आयोग को चाहिए कि वह नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखे और किसी भी तरह की मनमानी या अनियमितता से बचे।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अगर भविष्य में यह सिद्ध होता है कि वास्तव में प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है, तो आवश्यक हस्तक्षेप किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई २९ जुलाई २०२५ को निर्धारित की है।

मुख्य बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बिहार अभियान पर अंतरिम रोक से इनकार किया

आयोग को -रवहरी और तींशी खऊ को स्वीकार करने की सलाह

एप रीीश ळपलश्रीीळेप नीति पर ज़ोर

गड़बड़ियों के आरोपों की जांच जारी

अगली सुनवाई २९ जुलाई २०२५ को होगी

यह मामला आने वाले विधानसभा चुनावों की दृष्टि से अहम माना जा रहा है और देशभर में इस पर राजनीतिक निगाहें टिकी हैं।

आपातकाल में संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को बढ़ा हुआ मानधन

पात्र लाभार्थियों से २५ सितंबर तक आवेदन करने की अपील

बीड, दिनांक २८ (जिमाका): १९७५ से १९७७ के आपातकालीन कालखंड में जेल की सजा भुगतने वाले व्यक्तियों तथा उनके जीवित जीवनसाथी को दिए जाने वाले मानधन में सरकार ने वृद्धि की है। इसके साथ ही नीति में भी सुधार किया गया है। इस संबंध में शासन निर्णय २७ जून २०२५ को जारी किया गया है। पात्र लाभार्थियों को २५ सितंबर २०२५ तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन ने सूचित किया है।

जो व्यक्ति एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहे हैं, उन्हें मासिक २०,००० का मानधन मिलेगा। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी या पति को १०,००० प्रति माह मानधन मिलेगा। एक महीने से कम जेल में रहे व्यक्तियों को १०,००० मासिक और उनके पश्चात उनकी पत्नी या पति को ५,००० प्रति माह मानधन दिया जाएगा। मानधन के लिए पात्रता की शर्त यह है कि गिरफ्तारी के समय आवेदक की आयु कम से कम १८ वर्ष होनी चाहिए। साथ ही दिनांक १४ दिसंबर २०२३ का शासन पत्र क्र मांक संकीर्ण १९२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ को भी इस निर्णय के अंतर्गत रद्द कर दिया गया है।

अगर आपातकाल के दौरान जेल में रहे व्यक्ति का निधन ०२ जनवरी २०१८ से पहले हुआ हो, तो उनके जीवित जीवनसाथी (पति/पत्नी) को मानधन पाने के लिए परिशिष्ट ब' में दिया गया शपथपत्र आवेदन के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसे मामलों में मानधन स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी को रहेगा। आपातकाल के दौरान जेल में रहे व्यक्ति अथवा उनका जीवनसाथी-इन दोनों में से जब तक कोई एक जीवित है, तब तक ही मानधन स्वीकार्य रहेगा। उनके बाद कानूनी उत्तराधिकारी मानधन या बकाया राशि के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, ऐसा शासन निर्णय में स्पष्ट किया गया है।

आरोग्य विभाग को खा. सोनवणे का 'इंजेक्शन'; कर्मचारियों का वेतन अब समय पर मिलेगा

खा.बजरंग सोनवणे के पास आई थीं शिकायतें, पत्र लिखते ही स्वास्थ्य निदेशक ने जारी किया फंड

बीड : राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और समायोजन समय पर नहीं हो रहे थे। इसको लेकर सांसद बजरंग सोनवणे के पास कई शिकायतें पहुंचीं। प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खा. सोनवणे ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कार्रवाई के लिए पत्र भेजा, जिसके बाद स्वास्थ्य निदेशक ने जून २०२५ तक का बकाया वेतन देने के आदेश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत बीड जिले में उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिला अस्पताल, महिला अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल, जिला अस्पताल तथा प्रशासकीय स्तर पर विभिन्न संवर्गो के अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। इनका वेतन समय पर नहीं मिल रहा था और २ से ३ महीनों का वेतन लंबित था। यह शिकायतें सांसद सोनवणे को प्राप्त हुई थीं। इस पर उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कहा था कि यह समस्या तुरंत हल की जाए।

इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि १४ मार्च २०२४ के शासन निर्णय के अनुसार, समायोजन व निर्धारित समय पर वेतन देने की मांग राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य की बीड शाखा द्वारा की गई थी। इस अनुरूप, जिन संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि १० वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनके स्थायीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में शासन स्तर पर जारी है।

इसी के साथ राज्य कार्यालय के वित्त विभाग द्वारा मंजूर की गई कार्ययोजना के अनुसार जिला, परिमंडल, महानगरपालिका और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के विविध कार्यक्रमों के प्रभावी अमल के लिए निधि वितरित की जाती है। इसी वितरित निधि से इन कर्मचारियों का मानधन अदा किया जाता है।

हालांकि, केंद्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण जिलों को फंड जारी नहीं हो सका, जिस कारण २-३ महीनों का मानधन लंबित हो गया था। स्वास्थ्य निदेशक कार्यालय द्वारा १५ जुलाई २०२५ को जारी पत्र के अनुसार, जून २०२५ तक के लंबित वेतन के लिए वित्त विभाग द्वारा जिले, परिमंडल, महानगरपालिका, प्रशिक्षण केंद्र तथा अन्य संबंधित कार्यालयों को वित्तीय अधिकार वितरित किए गए हैं।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह वित्तीय मर्यादा केवल लंबित वेतन के भुगतान हेतु ही खर्च की जानी है, ऐसी सूचना संबंधित विभागों को जारी कर दी गई है।

डांस बार का समर्थन करने वाले गृह राज्य मंत्री का शिंदे ने किया बचाव, तो हर्षवर्धन सपकाळ बोले-जनता की न सही, कम से कम अपनी तो शर्म रखो

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

महायुति सरकार महाराष्ट्र पर लगा एक कलंक है, जो सत्ता में बने रहने के लिए हर सीमा पार कर चुकी है। न सिर्फ सत्ताधारी विधायक, पदाधिकारी और मंत्री बेलगाम हो चुके हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री पद संभाल चुके और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कमर का छोड़, सिर पर बांध लिया है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री योगेश कदम से जुड़े डांस बार का सार्वजनिक रूप से समर्थन

किया, जो बेहयाई की पराकाष्ठा है। जनता की नहीं, तो कम से कम आत्मा की तो शर्म होनी चाहिए, ऐसा तीखा प्रहार कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने सोमवार को किया।

सपकाळ ने आगे कहा कि जब कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री और आर.आर. पाटील गृह मंत्री थे, तब राज्य में डांस बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। शिंदे को पहले इसकी जानकारी लेनी चाहिए, फिर कांग्रेस पर आरोप लगाना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि, एक तरफ आप खुद को बहनों का भाई बताते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं बहनों के घर उजाड़ने वाली डांस बार संस्कृति का समर्थन करते हैं? यह दोहरी मानसिकता नहीं तो और क्या है?

अंत में उन्होंने मांग की कि गृह राज्य मंत्री योगेश कदम को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिंदे के बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

मुंबई पुलिस ने कर्नाटक में संचालित एक बड़ी एमडी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए ४०० करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाइयां (ड्रग्स) जब्त की हैं। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को संदेह है कि इस ड्रग रैकेट में कुछ उच्च वर्गीय प्रभावशाली लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है।

साकीनाका पुलिस ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से १८८ किलो मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया गया है। ये सभी आरोपी मुंबई शहर में एमडी ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे थे। अब तक इस मामले में कुल आठ लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

यह मामला अप्रैल महीने में साकीनाका पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को मैसूर स्थित ड्रग फैक्ट्री का सुराग मिला, जिसके बाद साकीनाका पुलिस टीम ने कर्नाटक राज्य में छापा मारा।

पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावडे (परिमंडल-१०) ने जानकारी दी कि इस कार्रवाई में ३९० करोड़ रुपये मूल्य की नशीली सामग्री जब्त की गई है। अप्रैल के अंत में दर्ज शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और पहले आरोपी से ५२ ग्राम ड्रग्स बरामद किए गए थे। इसके बाद तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।प्रारंभिक दो आरोपियों से ४ किलो मेफेड्रोन बरामद हुआ था। आगे की पूछताछ में यह पता चला कि इन सभी आरोपियों को ड्रग्स की सप्लाई मैसूर के बाहर स्थित फैक्ट्री से मिल रही थी।मुंबई पुलिस इस रैकेट के पीछे के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है और संभावना है कि जल्द ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

उद्योगपति और लेखक प्रकाश सुलाखे को डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित

मुंबई/प्रतिनिधि:

बीड जिले के मूल निवासी तथा पुणे स्थित कैडमैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. के उद्योगपति और लेखक प्रकाश आत्माराम सुलाखे को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कार २०२५ के प्रतिष्ठित सम्मान समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी कंपनी कैडमैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. को इंजीनियरिंग एजुकेशनल लैब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में टॉप ब्रांड प्रथम पुरस्कार से नवाज़ा गया।

टॉपनॉच फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई नामचीन हस्तियों ने उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाई।

इस समारोह में प्रकाश सुलाखे के साथ प्रसिद्ध अभिनेता व समाजसेवी सोनू सूद, सांसद तथा पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, फाउंडेशन के सीईओ करुण सिंह तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस पुरस्कार समारोह में देशभर के प्रतिष्ठित उद्यमियों को सम्मानित किया गया।

शिक्षा क्षेत्र में दूरदृष्टि रखने वाले उद्योगपति और लेखक प्रकाश आत्माराम सुलाखे की दूसरी पुस्तक Engineering Education: Pain or Gain का विमोचन मुंबई के प्रसिद्ध ताज होटल में एक भव्य और प्रतिष्ठित समारोह में किया गया। इस विमोचन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, अभिनेता व समाजसेवी सोनू सूद, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, करुण सिंह आदि की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया।

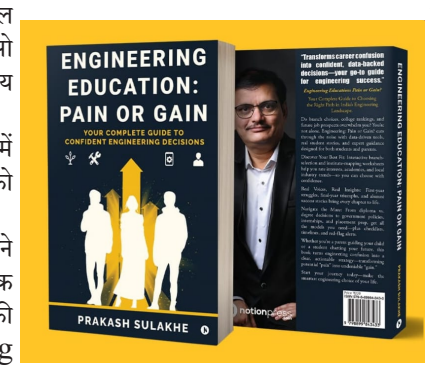

भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित यह पुस्तक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और नीति-निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। तकनीकी शिक्षा में नवाचार और बदलाव के लिए सुलाखे का यह प्रयास एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इंजीनियरिंग शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए यह पुस्तक अध्ययन योग्य है।

इससे पूर्व भी सुलाखे को गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध अभिनेत्री-सांसद हेमा मालिनी के हाथों बेस्ट उद्योगपति के रूप में सम्मानित किया गया था।

उनकी इस उपलब्धि की सराहना पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, प्रसिद्ध विधिवेत्ता कालिदास थिगळे, लोकप्रश्न के संपादक दिलीप खिस्ती, वरिष्ठ पत्रकार महेश वाघमारे, प्रमोद कुलकर्णी, विकास उमापूरकर, मिलिंद सुंदर, उदय जोशी, दीपक सर्वज्ञ, दिव्य अग्री के संपादक प्रकाश सूर्यकर, कार्यकारी अभियंता शिवप्रसाद खेडकर, दिनकर कदम, विलास बडगे, अरुण डाके, नानासाहेब काकडे, गणपत डोईफोडे, गंगाधर घुमरे, गिरीश देशपांडे, साहस अदोडे समेत बीड के पत्रकार और मित्र मंडल ने खुले दिल से की है।

लोकांक्षा के संपादक और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के पीआरओ प्रशांत सुलाखे के वे छोटे भाई हैं।

इस मूबारक मौके पर दैनिक तामीर सूलाखे परिवार को शुभकामनाएं पेश करता है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ बोर्ड के युवा, तेज़तर्रार अध्यक्ष समीर काज़ी ने लिए कई क्रांतिकारी फैसले

फिर भी विरोधियों की ओर से बदनाम करने की कोशिश

चाहे जितना भी विरोध हो, अब मैं रुकने वाला नहीं-समीर काज़ी

रिपोर्ट: काज़ी अमान, बीड़

महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने अपने एक वर्ष के अध्यक्षीय कार्यकाल की पूर्णता के अवसर पर बीड़ में आयोजित पत्रकार परिषद में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और क्रांतिकारी निर्णयों का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ५ अगस्त २०२५ को उनका अध्यक्षीय कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में एक राज्यस्तरीय पत्रकार परिषद आयोजित की जाएगी।

बीड़ स्थित विश्रामगृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर काज़ी ने स्पष्ट शब्दों में अपनी भूमिका रखी। उन्होंने कहा, मुझ पर चाहे जितना भी विरोध हो, लेकिन वक़्फ़ के हित के लिए आंदोलन हो। मैं वक़्फ़ की संपत्ति बचाने के लिए लड़ रहा हूं और सबको इस संघर्ष में साथ आना चाहिए।

झूठे आरोप मत लगाइए - सच्चे मुद्दों पर करें विरोध काज़ी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मेरे कार्यकाल में मैंने कोई गलत दस्तखत की हो या कोई ग़लत काम किया हो, तो ज़रूर विरोध कीजिए। लेकिन जो घटनाएँ कभी हुई ही नहीं, उन पर टीका करना अनुचित है। जो लोग दो साल तक बोर्ड के सदस्य रहे, उन्हें उस समय कुछ ग़लत क्यों नहीं दिखा?

उन्होंने पारदर्शक प्रशासन, वक़्फ़ संपत्ति की सुरक्षा और समाज के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का ज़िक्र करते हुए भविष्य में शुरू की जाने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने भावुक अंदाज़ में कहा, मैं सिर्फ वक़्फ़ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हटूंगा।

कैश वक़्फ़ को ७० साल बाद नया जीवन

कई दशकों से उपेक्षित 'कैश वक़्फ़' के लिए अलग बैंक खाता खोलकर उसका उपयोग विधवाओं, अनाथों और गरीब छात्रों के कल्याण के लिए किया जाएगा।१०० पीएचडी करने वाले गरीब छात्रों को १ लाख की छात्रवृत्ति५० विधवाओं को ५०,००० की आर्थिक सहायता दी जाएगी।राजनीतिक साज़िशों का डटकर जवाब

विरोधियों की चालबाज़ियों पर करारा प्रहार करते हुए काज़ी ने कहा, जिनका काम रुक गया है, वही विरोध कर रहे हैं। हमने वक़्फ़ इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है, जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों का विशेष सहयोग

काज़ी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के विशेष सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कारण वक़्फ़ बोर्ड को केंद्र व राज्य सरकार से भरपूर आर्थिक सहायता मिली।एक वर्ष के कार्यकाल का संपूर्ण लेखा-जोखाउन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में तीन साल सदस्य और एक साल अध्यक्ष रहते हुए किए गए कार्यों का पूरा लेखा-जोखा ५ अगस्त को राज्य स्तरीय पत्रकार परिषद में प्रस्तुत किया जाएगा। बीड़ शहर में वक़्फ़ ज़मीन पर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम के निर्माण की दिशा में ठोस पहल की गई है।उन्होंने यह भी कहा कि बीड़ शहर में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास भी वक़्फ़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। पुराने सिस्टम को बदला, अब २०० से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति

पहले वक़्फ़ बोर्ड सिर्फ २७ कर्मचारियों पर चल रहा था, जिससे कामों में देरी और अनियमितता होती थी। अब ज़िला और मुख्यालय स्तर पर २०० से अधिक पदों पर नियुक्ति की गई है।अब हर ज़िले में वक़्फ़ कार्यालयों को सशक्त किया गया है ताकि ज़िला स्तर पर ही सभी काम पूरे हों और मुख्यालय जाने की ज़रूरत न पड़े।वक़्फ़ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

वक़्फ़ के १०० से २०० साल पुराने रिकॉर्ड को स्कैन कर आधुनिक मशीनों से संरक्षित किया जा रहा है। प्रत्येक संस्था का रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध हो, इसके लिए उच्च गुणवत्ता की मशीनें खरीदी गई हैं।षड्यंत्र के तहत वक़्फ़ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिशउन्होंने आरोप लगाया कि २४ जुलाई की सुनवाई के दौरान विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर वक़्फ़ बोर्ड की छवि खराब करने की कोशिश की।छत्रपति संभाजीनगर में बुलडोज़र की तैयारीयहाँ के अतिक्रमणधारकों को वक़्फ़ अधिनियम के तहत किरायेदार बनाने की प्रक्रिया शुरू है। जो ऐसा नहीं करेंगे, उन पर महानगरपालिका की सहायता से बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी।

कैश वक़्फ़ से गरीबों को सीधी मदद

७० वर्षों के बाद कैश वक़्फ़ के फंड को पुनर्जीवित कर उसका उपयोग जरूरतमंदों के लिए किया जा रहा है। बीड़ के तय्यबनगर, संजयनगर और अन्य इलाकों में अतिक्रमण करने वालों को नियमों के तहत वैध किया जा रहा है ताकि उन्हें सरकार की आवास योजनाओं का लाभ मिल सके।महाराष्ट्र: सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाला वक़्फ़ बोर्ड

समीर काज़ी ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ बोर्ड ही देश का एकमात्र बोर्ड है जिसे राज्य और केंद्र सरकार से सबसे अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री व दोनों उपमुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त किया।

वक़्फ़ कार्यालयों का सशक्तिकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम

१९६६ से सिर्फ २७ कर्मचारियों के बल पर चल रहे वक़्फ़ बोर्ड में अब २०० से अधिक पदों की भर्ती की गई है। प्रत्येक ज़िले में वक़्फ़ कार्यालय के लिए स्वतंत्र भवन की व्यवस्था की गई है। पुराने १०० से २०० साल पुराने दस्तावेज़ों को स्कैन कर अत्याधुनिक मशीनों की मदद से संरक्षित किया जा रहा है।

बीड़ के विकास के लिए तीन बड़े प्रोजेक्ट

समीर काज़ी ने घोषणा की कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर ७५० बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज और १५० करोड़ रुपये का अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर (स्टेडियम) तैयार किया जाएगा। इस बारे में २१ जुलाई को ज़िला प्रशासन के साथ बैठक कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वक़्फ़ आय में बढ़ोतरी

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) और बीड़ समेत कई जगहों पर वक़्फ़ भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। समीर काज़ी ने चेतावनी दी कि यदि ज़रूरत पड़ी तो बुलडोज़र कार्रवाई भी की जाएगी। जो अतिक्रमणकर्ता कानूनी रूप से वक़्फ़ के किरायेदार बनना चाहें, उन्हें वैध पट्टा दिया जाएगा ताकि वक़्फ़ की आय में वृद्धि हो।

समीर काज़ी ज़िंदाबाद कहिए या मुर्दाबाद...

उन्होंने फिर कहा, जो दो साल बोर्ड में रहे, उन्हें तब कुछ ग़लत क्यों नहीं लगा? और दोहराया कि विरोध तथ्यों पर आधारित हो। उन्होंने फिर कहा, मैं वक़्फ़ के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा।

वक्फ बोर्ड विद्यार्थियों और विधवाओं को देगा आर्थिक सहायता

बीड़ । प्रतिनिधि

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने बीड़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अब वक्फ बोर्ड की ओर से मेडिकल कॉलेज और खेल परिसर (स्पोर्ट्स ग्राउंड) की शुरुआत की जा रही है। साथ ही, रिसर्च करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को १ लाख रुपये और विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ५० हजार से १ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

समीर काज़ी ने रविवार (२७ जुलाई) को बीड़ स्थित विश्रामगृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने एक साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश करते हुए बताया कि -

मेरे अध्यक्ष बनने से पहले वक्फ बोर्ड का आय कभी ३ करोड़ रुपये से ऊपर नहीं गया था। लेकिन पिछले एक साल में वक्फ बोर्ड को ११ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मैंने जब पदभार संभाला, तब पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के केवल २७ कर्मचारी थे, और किसी भी जिले में कार्यालय नहीं था। कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। पहले हमें सुविधाएं जुटानी थीं, इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। सरकार ने ६९ पद भरने की मंजूरी दी, जिनमें से ६० पद भर दिए गए हैं, जिनमें २५ पद वर्ग-१ के हैं। इसके अतिरिक्त, १५० संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। आज हमारे पास २०० से अधिक कर्मचारी हैं और हर जिले में वक्फ बोर्ड का कार्यालय शुरू हो चुका है। इससे कामों में तेजी आई है और अब हमारा ध्यान विकास की ओर है।

बीड़ शहर में मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स ग्राउंड की योजना

समीर काज़ी ने कहा कि बीड़ में मेडिकल कॉलेज और खेल के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया जाएगा, जिसमें कुश्ती, टेबल टेनिस जैसे खेलों की सुविधाएं रहेंगी। इस हेतु प्रशासन को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

रिसर्च छात्रों और विधवाओं को आर्थिक सहायता

उन्होंने बताया कि जल्द ही अल्पसंख्यक समाज के उन छात्रों को जो रिसर्च कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ओर से १ लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर चेक वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही, विधवा महिलाओं को ५० हजार से १ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी।

औकाफ की संपत्तियों पर बुलडोज़र कार्रवाई की चेतावनी

समीर काज़ी ने यह भी कहा कि गेवराई शहर में कुछ लोग औकाफ की संपत्तियों पर स्थायी रूप से बसे हुए हैं, उनके किराए के अनुबंध जल्द ही किए जाएंगे। लेकिन जो लोग वक्फ संपत्ति पर बिना अनुबंध के रह रहे हैं, उन पर बुलडोज़र जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अंत में उन्होंने कहा कि उन्हें अध्यक्ष बने सिर्फ एक वर्ष हुआ है, और इस दौरान हुई प्रगति कुछ विरोधियों को रास नहीं आ रही है। वे केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम विकास के रास्ते पर काम करते रहेंगे।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफीक काज़ी, अतुल संघानी और फारुख पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

तभी जा कर भारत का असर बनेगा

दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। रूस-यूक्रेन, इज़राइल-ईरान, गाजा, फिलिस्तीन, सीरिया, हूथी, कंबोडिया-थाईलैंड - इन जगहों पर लगातार विस्फोट हो रहे हैं। हर रोज़ आग की लपटें उठती हैं। इमारतें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान और चीन-ताइवान की सीमाओं पर तनाव है। नाटो देश रूस के खिलाफ तैयार हैं। कब विस्फोट हो जाए, कहा नहीं जा सकता।

इन सभी जगहों पर अमेरिका के राष्ट्रपति सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह भूमिका वे दो चीज़ों की ताकत पर निभाते हैं - १) हथियारों का भंडार और २) व्यापारिक ताकत।

भारत-पाकिस्तान के युद्धबंदी समझौते पर बोलते समय उन्होंने व्यापार समझौते का कई बार उल्लेख किया। अब कंबोडिया-थाईलैंड के संदर्भ में भी यही कहा है। रूस और ईरान को भी वे व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं।

अमेरिका व्यापार की धमकी देता है और छोटे-बड़े देश झुक जाते हैं - यह तस्वीर आज दुनिया के सामने है। हमें इसका सही अर्थ समझना होगा।

भारत को बडा बाजार बताया जाता है, और यह बात बार-बार दोहराई जाती है। हमारी जनसंख्या आज १५० करोड़ के करीब पहुँच गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हम बन चुके हैं। लेकिन क्या हम किसी देश को व्यापार की धमकी दे सकते हैं? और अगर दी भी, तो क्या उसका असर होगा? इसका उत्तर है - नहीं।

हम ऐसा कोई माल किसी देश को नहीं बेचते, जिसके बिना वह देश संकट में आ जाए, जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। हम अमेरिका को दवाइयाँ निर्यात करते हैं, लेकिन अमेरिका दवाइयों के मामले में हम पर पूरी तरह निर्भर नही है । यदि हमने दवाइयाँ भेजना बंद कर दिया, तो यह मानने का कोई कारण नहीं कि वहाँ के लोग तेजी से मरने लगेंगे।

हमारी कुल निर्यात कितनी है? वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? सेवाएँ और वस्तुएँ मिलाकर हमारी हिस्सेदारी सिर्फ ३% है। अगर सेवाओं को छोड़ दें तो यह केवल १.८% है। इसका मतलब यह है कि हम निर्यात के दम पर धमक नहीं दिखा सकते। चीन की हिस्सेदारी ११% है - इसलिए वह अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी ७% है। हमारी स्थिति इनकी तुलना में काफी कमजोर है।

असल में किसी देश की प्रगति का आकलन उस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय से होता है। कुल आय को जनसंख्या से विभाजित करके जो औसत निकलता है, वह सही चित्र नहीं देता। अदाणी-अंबानी और मजदूर-किसानो की आय में ज़मीन-आसमान का फर्क है। हमें निचले तबके की आमदनी देखनी चाहिए। अगर हम केवल खेती और पशुपालन के क्षेत्र में भारतीय किसानों की आय देखें, तो वह सालाना मात्र ६४,५०० है। चीन में यह लगभग दुगनी यानी १,२५,००० है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा - ८१ लाख सालाना है। किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में भी भारी अंतर है।

ध्यान दें - भारत एक आयातक देश है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी आयातकर्ता सरकार है - वह भी पेट्रोलियम की। जो वस्तुएँ और सेवाएँ आयात होती हैं, वे कुछ गिने-चुने लोगों के लिए होती हैं। वस्तुओं के आयात करने वाले देशों में भारत ११वें स्थान पर है। पेट्रोल सहित कुल आयात में हमारी हिस्सेदारी २.८% है। अगर पेट्रोल को निकाल दें, तो यह १% के करीब रह जाती है।

एक आयातक देश के रूप में भी हम धमक नहीं दिखा सकते। इसका मुख्य कारण है - हमारी कृषि व्यवस्था।

हमारे देश में केवल वोट हासिल करने के लिए ही किसानों की चर्चा होती रही है। खेती को देश के समग्र विकास की दृष्टि से जो महत्व मिलना चाहिए था, वह कभी मिला ही नहीं। केवल सब्सिडी, कर्जमाफी, सम्मान निधि जैसी कमजोर योजनाएँ चलाई गईं, जिनका कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। लाखों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। किसान आत्महत्या को राष्ट्रीय आपदा मानकर इस पर गहन मंथन होना चाहिए था - जो कभी हुआ ही नहीं। इसी कारण हम आज पीछे रह गए हैं।

देश की आज़ादी के साथ ही जमींदारी उन्मूलन कानून आया, फिर जोतनेवाला (िंशपरपीं) कानून लागू हुआ। इसके बाद १९६० के आसपास अधिकतम जोत सीमा (सीलिंग) कानून लाया गया। दो-दो, चार-चार एकड़ के ज़मीन के तुकडे बाँटे गये। इस कारण कृधी ज़मीन का विखंडन हुवा, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज ८५% किसानों के पास २ एकड़ से कम कृषी ज़मीन है। जिनकी ज़मीन गई, उनका नुकसान हुआ और जिन्हें मिली, उनका भी कोई लाभ नहीं मिला।

सीलिंग कानून के कारण भारत में किसानों की कंपनियाँ नहीं बन सकीं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह देश आज खेती के क्षेत्र में पिछड़ गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (ऐ-ीशपींळरश्र उेाोवळींळशी -लीं) लाया गया और कृषि उत्पादों की कीमतें गिराने का तंत्र खड़ा कर दिया गया। मंडी समितियाँ (चरी-ज्ञशीं उेाोळींशशी) बनाई गईं, जहाँ विक्रेता ज़्यादा और खरीदार कम रहे - ऐसी अजीब स्थिति बन गई। सभी दलों की सरकारों ने इस कानून का दुरुपयोग किया है। वर्तमान भाजपा सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।

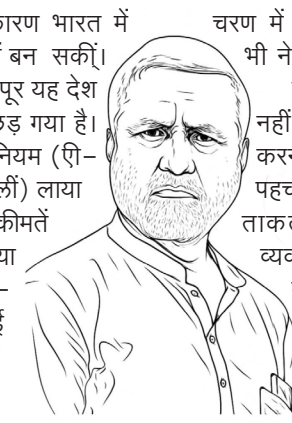

जमीन अधिग्रहण कानून एक लटकती तलवार बन गया है, जिससे निवेशक खेती में निवेश करने से कतराते हैं।

इन तीन कानूनों ने जो ढांचा खड़ा किया है, उसने देश के बड़े हिस्से को जैसे लकवाग्रस्त बना दिया है। किसान ग्राहक नहीं बन पाया। यह स्थिति बदलनी है, तो ऊपर के तीनों कानून रद्द करने होंगे। जब ये कानून रद्द होंगे, तो क्रमशः कृषि क्षेत्र की संरचना बदलेगी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी होगी। कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और भारत आयात के क्षेत्र में भी प्रभाव दिखा सकेगा। अगले चरण में यही कृषि क्षेत्र निर्यात में भी नेतृत्व कर सकेगा।

केवल चार उद्योगपति देश नहीं बना सकते। देश को खड़ा करने के लिए देश की ताकत पहचाननी होगी - भारत की ताकत है कृषि। अगर कृषि व्यवस्था को ठीक कर लिया गया, तो यह देश दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।

अमेरिका के व्यापार की भाषा को हमें अपनी स्थिति में समझना और आज़माना होगा।

- **अमर हबीब**, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
मो. ८४११९०९९०९

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com